न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सिवाना

मु.न. 14 / 2017

प्रार्थीगण

1. तिलोका पुत्र प्रभु
2. नागा पुत्र प्रभु
   जाति पुरोहित निवासी ईटवांया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. हीराराम पुत्र छोगाराम
2. वालाराम पुत्र छोगाराम
3. कोहलाराम पुत्र छोगाराम
4. सुजादेवी बेवा छोगाराम
5. अर्जुनराम पुत्र नागजी
6. ताराराम पुत्र नागजी
7. छगनादेवी बेवा नागजी
8. कृष्णचंद पुत्र नागजी
9. हकमाराम पुत्र तोगाजी
   जाति पुरोहित निवासी ईटवाया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
10. राजस्थान राज्य जरिये भूमि धारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 2010

–: निर्णय :–

दिनांक :– 25.09.2020

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम इटवाया पटवार क्षेत्र पादरू तहसील सिवाना में खेत खसरा नम्बर 1325 रकबा 97–06 बीघा की आई हुई है। प्रार्थीगण के खेत के बदिशा पश्चिम–उत्तर में स्थित विप्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 1321 रकबा 99 बीघा में से होते हुए आगे ईटवाया गांव से जालमपुरा (ढालु) जाने वाले सार्वजनिक कटाण रास्ता से मिलता है। इस मार्ग का प्रार्थीगण द्वारा कटान मार्ग तक पहुंचने हेतु विगत पीढियों से सुचारू रूप से उपयोग में लेते आ रहे हैं। उक्त रास्ते पर आवागमन के बावत् विप्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारियों ने कभी कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन समय का अन्तर आ जाने के कारण विप्रार्थीगण मौके पर विरोध पैदा करते हैं। प्रार्थीगण के आवागमन हेतु इस रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1325 से कटान मार्ग तक पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1321 में से संलग्न "परिशिष्ठ–अ" अनुसार राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग अपलिखित किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता कैलाशपुरी द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खेत के बदिशा पूर्व में स्थित ... खसरा संख्या 1319,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2020.11.19 16:41:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

1318, 1955/1332, 1956/1332 सरहद मौजा ईटवाया की माठ–माठ चालू हालत में है तथा आगे संकलेशर महादेव जाता है। प्रार्थी ने अपने खेत के बदिशा उत्तर में स्थित खसरा संख्या 1323 जो कि प्रार्थीगण के भाई केसाजी के खातेदारी का है जिसमें से होकर प्रार्थीगण आवागमन कर सकते हैं व करते हैं, लेकिन प्रार्थीगण ने अपने काकाई भाई केशाजी के खेत खसरा नम्बर 1323 में से मांग नहीं कर विप्रार्थीगण को तंग हैरान व परेशान करने की नीयत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है।

भूमि धारक तहसीलदार सिवाना से रिर्पोट ली गई। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिर्पोट क्रमांक 33 दिनांक 11.01.2018 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1321 में बिन्दु संख्या A से B व B से C तक (संलग्न परिशिष्ठ 'क' के अनुसार) मांगा गया रास्ता मौके पर बन्द पाया गया तथा मौके पर जोता हुआ है। राजस्व नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 1321 में बिन्दु संख्या A पर कटान रास्ता लगता है, जबकि मौके पर बिन्दु A से B तक खसरा नम्बर 1321 के सेडे–सेडे खसरा नम्बर 1322 में बरंग 'हरा' रास्ता चल रहा है तथा ग्रेवल सड़क बनी हुई है। प्रार्थी के कथनानुसार उनका आवागमन बिन्दु B से C तक इसी चाहे गये रास्ते से हो रहा था जो वर्तमान में विप्रार्थीगण द्वारा बन्द कर दिया गया है। विप्रार्थीगण के कथनानुसार प्रार्थीगण का रास्ता कटान रास्ते से खसरा नम्बर 1319, 1321, 1318, 1955/1332, 1956/1332 में से होकर खसरा नम्बर 1325 तक है जिसका मौका देखने पर खसरा नम्बर 1319 में बिन्दु संख्या D से E तक एवं खसरा नम्बर 1321 में बिन्दु संख्या F से G तक रास्ता चालू है, खसरा नम्बर 1318 में बिन्दु संख्या H से I तक रास्ता बन्द पाया गया तथा मौके पर फसल खडी है। खसरा नम्बर 1955/1332 में बिन्दु संख्या J से K तक खेत की पश्चिमी माठ पर रास्ते हेतु भूमि छोडी हुई है लेकिन रास्ता चालू नहीं है। आगे खसरा नम्बर 1956/1332 प्रार्थी तिलोका की पत्नी के नाम दर्ज है तथा उससे आगे प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 1325 है। खसरा नम्बर 1319, 1321, 1318, 1955/1332 में से खसरा नम्बर 1956/1332 तक (जो प्रार्थी के पत्नी के नाम दर्ज है) बिन्दु संख्या D से E, F से G, H से I व J से K तक की कुल लम्बाई 31 जरीब (310 गट्ठा) होती है जबकि खसरा नम्बर 1321 में बिन्दु संख्या A से B व B से C तक की लम्बाई 13 जरीब (130 गट्ठा) बनती है।

उक्त रिर्पोट पर विप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की जिस पर विप्रार्थीगण की आपत्तियों पर पुनः तहसीलदार सिवाना से रिर्पोट प्राप्त की गई। पुनः तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिर्पोट क्रमांक 364 दिनांक 02.08.2019 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता खेत खसरा नम्बर 1321 में पूर्व रिर्पोट में दर्शाये अनुसार । से ठ व ठ से ट तक (संलग्न परिशिष्ठ 'क' के अनुसार) मांगाया गया आज दिनांक को रास्ता मौके पर बन्द है, परन्तु पूर्व में रास्ता यही से चल रहा था जो कि दिनांक 25.12.2017 को गूगल मैप में भी दिखाई दे रहा है जिसकी लम्बा 13 जरीब (130 गट्ठा है) विप्रार्थीगण अर्जुनसिंह द्वारा बताया गया रास्ता का मौका देखने पर लम्बाई 31 जरीब (310 गट्टा) ... प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1325 के लगता हुआ कोई ... रास्ता ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2020.11.19 16:41:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात, तहसीलदार सिवाना द्वारा दौनो मौका रिर्पोटों का गइराई से अवलोकन किया गया। तहसीलदार सिवाना की रिर्पोट अनुसार प्रस्तावित A से B व B से C "बरंग डॉट–डॉट लाल", रास्ता सबसे नजदीकी विकल्प है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण को कटान मार्ग से अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई विलक्प नहीं है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तावित प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि मौजा ईटवाया के खेत खसरा नम्बर 1325 के आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1321 में से रास्ता अपलिखित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार सिवाना की मौका रिर्पोट कमांक 1054 दिनांक 03.10.2017 के संलग्न परिशिष्ट 'क' में दर्शाए A से B व B से C "बरंग डॉट–डॉट लाल" अनुसार कटान मार्ग से प्रार्थीगण की आराजी खेत खसरा संख्या 1325 ग्राम ईटवाया में आने–जाने हेतु विप्राथीगण की ग्राम ईटवाया के खेत खसरा नम्बर 1321 में से 13 जरीव (130 गट्ठा) रास्ते हेतु A से B व B से C "बरंग डॉट–डॉट लाल" संलग्न नक्शा अनुसार 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'क' मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थीगण द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज़ होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार सिवाना द्वारा मौकिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2020.11.19 16:41:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करनें की कार्यवाही की जाएगी।

नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थीगण को इस प्रकार दर्ज भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2020 को खुले न्यायालय मजमेआम में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2020.11.19 16:41:57 IST
Reason: SelfAttested